

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-1651 / 14****संस्थित दिनांक-10.12.14**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

करतार सिंह पुत्र विद्याराम सिंह गुर्जर उम्र 30 साल

निवासी जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—**{आज दिनांक 14.12.17 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-ख)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.10.14 को 17:50 बजे के लगभग हरीराम की कुईया मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं 03 जिन्दा राउण्ड बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.10.14 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ डिम्पल मौर्य उक्त दिनांक को आवेदन जांच व कस्बा गश्त हेतु रवाना हुई थी। कस्बा गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हरीराम की कुईया पर अपराध करने की नियत से अवैध कट्टा लिए खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराही फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर पकड़ा। जामा तलाशी ली तो कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का कट्टा रखे था, जिसे खोलकर देखा तो उसमें एक कारतूस लगा था। कट्टा व कारतूस रखने का लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना बताया। उसके बांयी जेब से दो जिन्दा कारतूस जब्त किए गए। उक्त आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिर0 कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 206/14 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.10.14 को 17:50 बजे के लगभग हरीराम की कुईया मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं 03 जिन्दा राउण्ड बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में आरक्षक नरेन्द्र भागव अ0सा0 1, राजकिशोरसिंह अ0सा0 2, दीपक तिवारी अ0सा0 3, डिम्पल मौर्य अ0सा0 4, ओमवीरसिंह अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से स्वयं को ब0सा0 1 तथा सुरेन्द्रसिंह ब0सा0 2 के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।

6. जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ0सा0 4 यह कथन करती हैं कि दिनांक 09.10.14 को थाना मालनपुर में एस0आई के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को आरक्षक इंदर, नरेन्द्र, गंभीर व भानूप्रताप तथा पी0एस0आई0 ब्रजेन्द्र वर्मा के साथ कस्बा गश्त हेतु मालनपुर रवाना हुई थी, तभी कस्बा में जयें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हरीराम की कुईया के पास एक व्यक्ति अपराध करने की नियत से अवैध कट्टा लिए खड़ा है। जब मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। उनके द्वारा तलाशी लेने पर एक 315 बोर का कट्टा पैट में बांयी ओर कमर में लगाए था एवं बांयी जेब में दो जिंदा कारतूस मिले। तब कट्टा खोलकर देखा तो उसके चैम्बर में 315 बोर का कारतूस लगा था। अभियुक्त से नाम पता पूछने पर उसने नाम पता बताया। अभियुक्त से साक्षीगण के समक्ष जब्तीकर जब्ती पत्रक व गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाए गए, जिन्हें क्रमशः प्र0पी0 1 व 2 बताकर उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताती हैं। तत्पश्चात् मय माल थाने पर अभियुक्त को वापस लाकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करना बताती हैं। उक्त रोजनामचा की नकल प्र0पी0 5 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करती हैं। तत्पश्चात् थाने के अप0क0 206/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने का कथन कर प्र0पी0 6 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करती हैं। न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा व कारतूस अभियुक्त से जब्तशुदा कट्टा व कारतूस के रूप में बताकर उन्हें आर्टिकल ए 1 लगायत ए 4 के रूप में प्रमाणित करती हैं। प्र0पी0 1 व 2 की कार्यवाही के साक्षी नरेन्द्र भागव असा0 1 को परीक्षित कराया है, जबकि आर0 गंभीर को परीक्षित नहीं कराया।

7. नरेन्द्र भागव अ0सा0 1 जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ0सा0 4 के कथनों की पुष्टि करते हैं और अभियुक्त के पास से आग्नेय आयुध जब्त व उसे गिरफ्तार करने का समर्थन करते हैं। प्र0पी0 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उससे कोई आग्नेय आयुध जब्त नहीं हुआ, इसी कारण से जब्ती शाम के करीब 6 बजे सार्वजनिक स्थान पर होने के बावजूद किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा समर्थित नहीं हैं, अतः अभियुक्त के निर्दोष होने का बचाव लिया है। प्रकरण में यद्यपि किसी स्वतंत्र साक्षी का सार्वजनिक स्थान हरिराम की कुईया मालनपुर जो कि भीडभाड वाला सार्वजनिक स्थान हैं, पर अभिकथित कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया गया है। किन्तु मात्र पुलिस साक्षी होने से साक्षियों पर अविश्वास का कारण नहीं हो जाता है, बल्कि पुलिस साक्षी को भी अन्य साक्षी की भांति परीक्षित एवं विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात् यदि साक्षी विश्वसनीय न पाया जाए तो अभियुक्त का बचाव सुसंगत हो सकता है।

8. प्रकरण में डिम्पल मौर्य अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन की कार्यवाही को प्रदर्शित करती हैं, वहीं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करती हैं कि मुखबिर की सूचना के आधार पर घटनास्थल पर जहां व्यक्ति हथियार लिए खड़ा था, वहां के लिए रवाना हुई थी, उसकी रवानगी उन्होंने थाने पर नहीं डाली थी, फिर स्वीकार करती हैं कि इस अपराध में थाने से ही रवाना होकर घटनास्थल पर आई थीं। किन्तु प्रकरण में कोई रवानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत एवं प्रमाणित नहीं किया गया है। साक्षी यह बताने में अस्मर्थ हैं कि वे थाने से कितने बजे रवाना हुई थीं। साक्षी कण्डिका 5 में स्वीकार करती हैं कि प्र0पी0 1 व 2 पर कोई सुसंगत रोजनामचा की रवानगी का क्रमांक उल्लेखित नहीं हैं। साक्षी कण्डिका 6 में स्वीकार करती हैं कि जिस स्थान पर मुखबिर की सूचना दी गयी वह सार्वजनिक था और वहां पर लोगों का आवागमन अधिक रहता है किन्तु इसके बावजूद जब्ती व गिरफ्तारी पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया। इस प्रकार से जब्ती स्थल पर यदि अभियोजन पक्ष का तथ्य सही माने तो जब्ती कार्यवाही 17:50 बजे और गिरफ्तारी कार्यवाही 18:20 बजे किया जाना लेख है। किन्तु उक्त आधे घण्टे के समय में किसी स्वतंत्र साक्षी को लोगों के आवागमन वाले स्थान पर साक्षी न बनाए जाने का कोई समुचित कारण जब्तीकर्ता अधिकारी बताने में अस्मर्थ रही हैं, यह एक संदेहपूर्ण स्थित को दर्शाता है।

9. प्रकरण में जब्ती का अन्य साक्षी आरक्षक नरेन्द्र अ0सा0 1 कण्डिका 3 में कथन करता है कि शाम के 4-5 बजे जब्तीकर्ता अधिकारी रोजनामचा सान्हा में रवानगी डालकर रवाना हुई थी, जबकि स्वयं जब्तीकर्ता समय बताने में अस्मर्थ हैं। साक्षी जब्तशुदा कट्टा व कारतूस की विशिष्ट पहचान बताने में अस्मर्थ हैं। यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा उनका बयान लिया जाना बताता है, जबकि ओमवीर अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि उन्होंने आरक्षक नरेन्द्र के

कथन लेख किए थे। ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्य पुलिस कार्यवाही के संबंध में संदेह का आधार उत्पन्न करता है।

10. प्रकरण में राजकिशोर अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 05.11.14 को वे पुलिस लाईन भिण्ड में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को कट्टा व कारतूस थाना मालनपुर से सीलबंद चपड़ी जांच हेतु शस्त्रागार में प्राप्त हुए थे। प्रकरण में प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक में कट्टा व कारतूस पर जब्ती चिट लगाकर सीलबंद किए जाने का उल्लेख है, किसी चपड़ी सील का उल्लेख नहीं है, न ही प्र0पी0 1 में कोई नमूना सील कॉलम नं0 13 में अंकित है। प्रकरण में अभिकथित जब्तशुदा कट्टा व कारतूस किस सुसंगत माल नंबर पर थाने में जमा किए गए, इसका कोई उल्लेख संपूर्ण अभियोगपत्र में नहीं है ऐसी दशा में कथित कट्टा व कारतूस के अनन्यता को सुनिश्चित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से सुदृढ़ आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जब्ती चिट लगाकर जब्त किए गए थे तो सफेद कपड़े में बंद चपड़ी सील से युक्त जो कट्टा व कारतूस आर्म्स जांच के लिए प्रस्तुत किए गए, उनमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। आरमोर राजकिशोर अ0सा0 2 द्वारा प्राप्त शुदा कट्टा व कारतूस में किसी जब्ती चिट का उल्लेख नहीं किया है ऐसी दशा में उक्त तथ्य संदिग्ध परिस्थिति को दर्शाता है।

11. प्रकरण में प्र0पी0 5 के रोजनामचा सान्हा पर अभियोजन की ओर से विश्वास किया गया है। उक्त प्र0पी0 5 के रोजनामचा सान्हा में अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के पूर्व धारा 13 जुआ एक्ट में दिनेश जाटव, पूरनसिंह, कमलेश कुशवाह, मौनू जाटव, धीरज कुर्मी तथा गोविंद गोले को सार्वजनिक स्थान हरीराम की कुईया के पास मित्तल फैक्ट्री के मैदान में रुपये पैसे का दांव लगाकर पकड़े जाने के संबंध में तथ्य उल्लेखित है, जिन्हें साथ में गिरफ्तार करने और जमानत पर छोड़ने का उल्लेख किया गया है। किन्तु उनमें से किसी व्यक्ति को अभियुक्त से अभिकथित जब्ती का साक्षी नहीं बनाया गया। सुरेन्द्र ब0सा0 2 ने इस संबंध में कथन किया है कि दिनांक 09.10.14 को उसके गांव के कुछ लडके जुआ खेल रहे थे, जिन्हें पुलिस पकड़ ले गयी तो वह अभियुक्त के साथ थाना मालनपुर गया जहां ब्रजेन्द्र वर्मा एवं डिम्पल मौर्य ने कहाकि इसे भी बंद कर दो, इस पर मुंहवाद हो गया और अभियुक्त करतारसिंह को थाने में बंद कर दिया तथा नहीं छोड़ा और असत्य अपराध पंजीबद्ध कर दिया। यद्यपि उक्त बचाव के संबंध में साक्षी द्वारा अथवा अभियुक्त द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत की हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं है। सुरेन्द्र ब0सा0 2 कथन करता है कि वह प्रथम बार न्यायालय में उक्त बात बता रहा है। ऐसे में मात्र सुरेन्द्र ब0सा0 2 के कथन के आधार पर पुलिस की कार्यवाही को नासाबित नहीं माना जा सकता है। यद्यपि अभियोजन को संदिग्ध परिस्थितियों से परे मामले को प्रमाणित करना होगा।

12. दीपक तिवारी अ0सा0 3 की अभिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 04 दिया जाना जिस पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। उनकी साक्ष्य धारा 47 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कारोबार के अनुक्रम में हस्तलिपि व हस्ताक्षर से परिचित साक्षी के रूप में सुसंगत व प्रमाणित है, किन्तु उक्त प्रमाण अभियुक्त पर उसके ज्ञानयुक्त आधिपत्य में आग्नेय आयुध संधारित किये जाने के आरोप को प्रमाणित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। प्रकरण में शाम के समय सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर किसी स्वतंत्र साक्षी से अभियोजन के मामले का समर्थन न कराया जाना, कथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध की अनन्यता को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण न होना, पुलिस की कार्यवाही को सुसंगत रोजनामचा सान्हा से समर्थित न होना गंभीर संदेहपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं।

13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व

अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

14. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 09.10.14 को 17:50 बजे के लगभग

हरीराम की कुईया मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं 03 जिन्दा राउण्ड बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1-ख)(क) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

16. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को नियमानुसार विनिष्ट करने हेतु प्रेषित किया जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश